सर्वोच्च न्यायालय उपभोक्ता न्यायालय के 1995 के आदेश की समीक्षा करेगा

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत **वकीलों के दायित्व को लेकर** [सर्वोच्च न्यायालय] **द्वारा अपने हालिया फैसले में कहा गया है कि** [चिकित्सा पेशेवरों] के संबंध में 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करेगा।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम] के तहत **वकील उत्तरदायी नहीं हैं,** जो चिकित्सा पेशेवरों के संबंध में 1995 के फैसले का खंडन करता है।
- 1995 में **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता** के मामले में [सर्वोच्च न्यायालय] ने फैसला सुनाया कि **चिकित्सा पेशेवर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम** में परिभाषित "सेवा" प्रदान करते हैं और दोषपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिये उपभोक्ता न्यायालय (Consumer Court) में **मुकदमा दायर किया जा** सकता है।
- 1995 के फैसले को अब वकीलों पर आए **हालिया फैसले पर पुनर्विचार के लिये एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया** गया है।
- [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019] वर्ष 1986 के अधिनियम का स्थान लेता है। यह उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protections) को सक्रिय रूप से बढ़ाना, और उसे लागू करने के लिये [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण] (Central Consumer Protection Authority-CCPA) की स्थापना करता है।

//

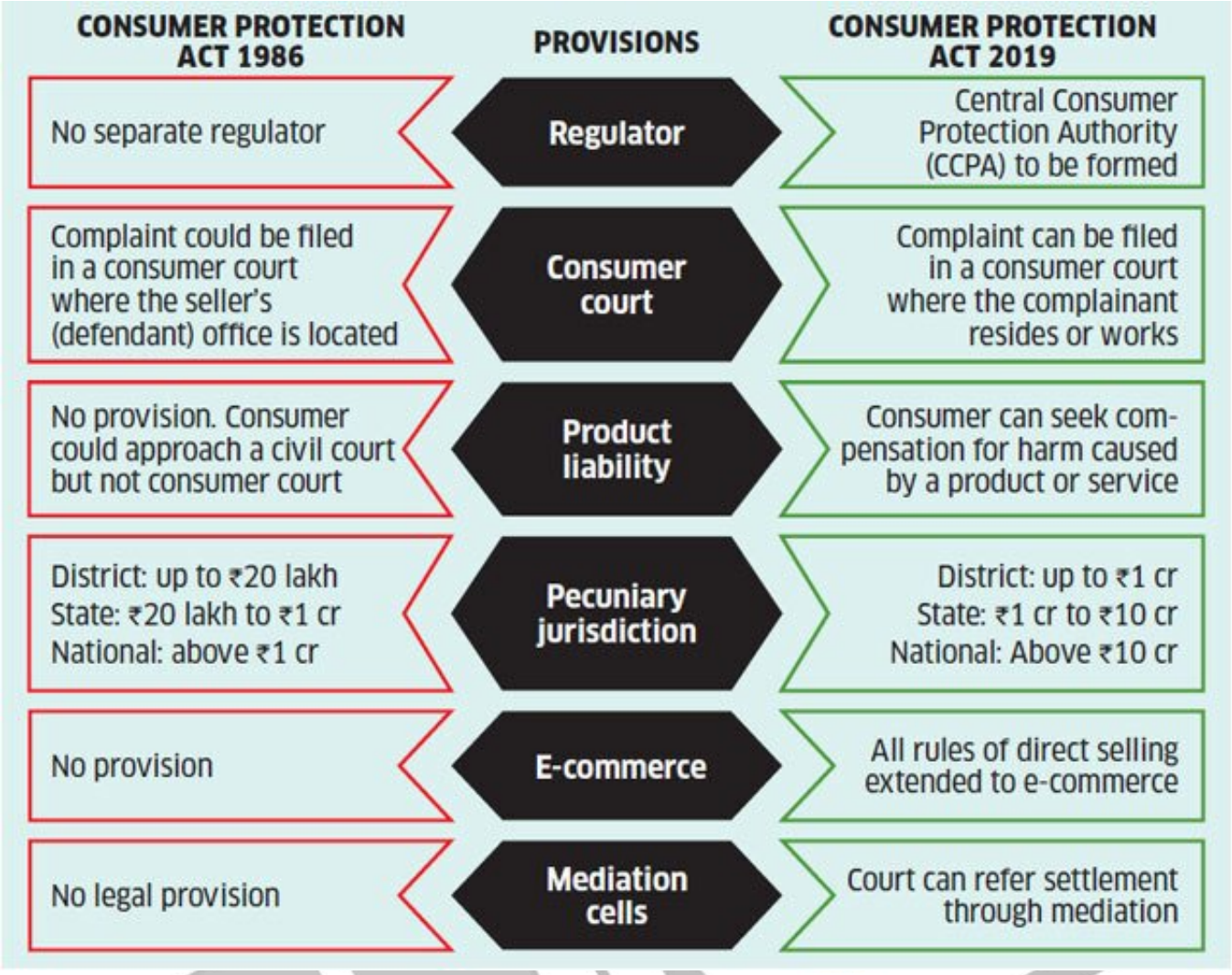

और पढ़ें: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-to-revisit-1995-order-of-consumer-court